

17/8/17

वादी द्वारा कोई नहीं।

प्रति0क0- 1 की ओर से अधिवक्ता श्री के0पी0 राठौर।

प्रति0क0 2 पूर्व से एकपक्षीय।

वादी को जारी कोर्ट नोटिस उसकी बहन रेखा पत्नी गंगाराम पर बाद तामील प्राप्त किन्तु न तो वादी न ही उसकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित।

ऐसा प्रतीत होता है कि वादी प्रकरण में कोई रुचि नहीं रखता है। उसके अभिभाषक द्वारा दिनांक 21.07.17 को कोई निर्देश प्राप्त न होने का तथ्य प्रकट किया था।

अतः वाद वादी की अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

कोई काउंटर क्लेम प्रस्तुत नहीं।

व्यय तालिका तैयार की जावे।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत अभिलेख में दर्जकर अभिलेखागार प्रेषित हो।

(Amit Kumar Gupta)

Civil Judge Class-I

Gohadpur Blind (MP) वर्ग-1

गोहर जिला सिविल म0प्र0

व्यय-तालिका

वादी	प्रतिवादी
Stamp for plaint 605/-	Stamp for power 201/-
Stamp for application 125/-	Stamp for application 35
Stamp for power 201/-	
Stamp for exhibit -	
Service of process 66	
योग 7301/-	55=60

अमित कुमार गुप्ता

खबहार न्यायधीश वर्ग-1

गोहर जिला सिविल म0प्र0